



Neutral Citation No. - 2026:AHC:43510-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

क्रिमिनल मिस. रिट याचिका संख्या - 3806/2026

ध्रुव शर्मा

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : बिपिन

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को आज की कार्यवाही के दौरान गौतम बुद्ध नगर आयुक्त कार्यालय के पुलिस आयुक्त को प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की है:

"क. प्रतिवादी अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 4 से 9 को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश देने हेतु परमादेश रिट जारी की जाए, क्योंकि उन्होंने संज्ञेय अपराध किया है और जांच अधिकारी को इस माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.9.2025 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (मुकदमा अपराध संख्या 0558/2025, धारा 420, 406, 427, 506, 120-बी भा.द.स., पुलिस स्टेशन- सूरजपुर, जिला- गौतम बुद्ध नगर) की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तलब किया जाए।

ख. प्रतिवादी अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए, ताकि प्रतिवादी संख्या 4 से 9 को गिरफ्तार किया

जा सके, जो मिलीभगत से गिरफ्तारी से बच रहे हैं। दिनांक 26.9.2025 को दर्ज प्रथम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूचना रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के संबंध में जांच अधिकारी के समक्ष मामला संख्या 0558/2025, धारा 420, 406, 427, 506, 120-बी भा.द.स. के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस स्टेशन सूरजपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर।

ग. इस मामले की परिस्थितियों के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाएं।

घ. याचिकाकर्ता को लागत का भुगतान कराया जाए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता इस मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 26.9.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से मामले की जांच नहीं कर रही है।
5. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के समक्ष अपनी शिकायत को उजागर करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, और यदि ऐसा आवेदन गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय/प्रतिवादी संख्या 10 इस मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और शीघ्र जांच सुनिश्चित करेगा।
6. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, यह याचिका निस्तारित जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।